इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए
(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या 14 अंक संख्या 6 जनवरी, 2022 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ --2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ --------------------------------------3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ --- 5
विनियामकों के कथन ---5
आर्थिक संवेष्टन ---7
विदेशी मुद्रा --8
शब्दावली --9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------------------------------9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------------------------------10
संस्थान समाचार ---10
नयी पहलकदमी --14
बाजार की खबरें --14

“इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्‌वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।”

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति का पुनरीक्षण – मुख्य बातें

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 6 से 8 दिसंबर, 2021 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत अन्य बातों के साथ-साथ नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर और प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर को क्रमश: 4% तथा 3.35% पर बरकरार रखा गया। समग्र वृद्‌धि का पूर्वानुमान 9.5% पर बरकरार रखा गया। मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 5.3% पर कायम रखा गया।

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रवृति एवं प्रगति रिपोर्ट : अनर्जक आस्तियां 6 वर्ष के न्यून स्तर पर, जमा संग्रहण सात वर्ष के उच्च स्तर पर

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि वैश्विक महामारी से प्रभावित अद्‌यतन वित्त वर्ष की एक विशेषता लाभप्रदता में विवेचन योग्य वृद्‌धि रही, क्योंकि खर्च में गिरावट की पृष्ठभूमि में बैंकों की आय स्थिर रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की सकल अनर्जक आस्तियां मार्च, 2020 में 8.2% से घटकर मार्च, 2021 में 7.3% रह गईं और सितंबर, 2021 में वे और घटकर 6.9% रह गईं। वित्त वर्ष 21 में प्रभावशाली जमा संग्रहण के कारण चालू और बचत जमा खातों में तीव्र वृद्‌धि का कीर्तिमान हासिल किया जा सका।

वित्तीयन में प्रबल गति से पैदा होने वाले जोखिमों से निपटना समय की मांग है : भारतीय

रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक की ''भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियाँ एवं प्रगति रिपोर्ट 2020-21'' में यह चेतावनी दी गई है कि अकेले ही अथवा विनियमित संस्थाओं/कंपनियों के साथ भागीदारी में प्रबल गति से उधार दिये जाने के परिणामस्वरूप कार्यकलाप-आधारित अथवा संस्था/कंपनी-आधारित विनियमनों के जरिये विनियामक दृष्टिकोण को महज बढ़ाकर स्थिरता को सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार की वृद्धियों से समान अवसर क्षेत्र और उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य नहीं प्राप्त हो सकता। जहां शीर्ष बैंक ने वित्तीय सेवाओं में डिजिटल चैनलों के उपयोग का स्वागत किया है, वहीं वह इस प्रकार के प्रयासों में अंतर्निहित (प्रतिभूति के मूल्य में ह्रास होने के कारण होने वाली संभाव्य हानि (downside) के जोखिमों को उपयुक्त रीति से नियंत्रित भी करवाना चाहता है। प्रबल गति से उधार दिये जाने से पैदा होने वाले जोखिमों की पहचान करने और उन्हें नियंत्रित करने के साथ ही साथ विकेंद्रीकृत वित्तीयन हेतु विकेंद्रीकृत वितरित (blockchain) प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक ढांचे की आवश्यकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से खुदरा प्रेरित ऋण वृद्धि में गिरावट के संकेत

भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) से यह पता चलता है कि मंद निवेश और अतिशय क्षमता के कारण थोक मांग की गति धीमी हो जाने के कारण ऋणदाताओं ने अपनी ऋण बहियों को खुदरा खंड यथा व्यक्तियों, परिवारों तथा छोटे व्यवसायों की दिशा में उत्साहपूर्वक मुड़कर विस्तारित करने का प्रयास किया। हालांकि, भारत में खुदरा प्रेरित ऋण वृद्धि माडेल को दो कारकों के कारण इस समय अस्तव्यस्तता का सामना करना पड रहा है। पहला- उपभोक्ता वित्त संविभाग में अपचार में वृद्धि और दूसरा- नए ऋण खंड, जो कि वैश्विक महामारी के पूर्व उपभोक्ता ऋण वृद्धि को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता था, में मंदी। विविध ऋणदाता श्रेणी स्तरों में सामान्य उधारदायी मानकों को कठोर बना दिये जाने के परिणामस्वरूप इसके कारण अनुमोदन की दरों में गिरावट तथा उसके साथ ही शेषराशियों की वृद्धि में विमन्दन भी परिलक्षित हुआ।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अक्तूबर, 2022 से कठोर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा

उपयुक्त समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के एक अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचा तैयार किया है। उक्त ढांचा 31 मार्च को अथवा उसके बाद वाली वित्तीय स्थिति के आधार पर अक्तूबर, 2022 से प्रभावी होगा। यह जमा स्वीकार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और उनके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के मान-आधारित विनियमन के मध्यम, उच्चतर एवं शीर्ष परतों वाली अन्य बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होगा।

उक्त ढांचा 1,000 करोड़ रुपए की जमाराशियों और आस्ति आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, प्राथमिक व्यापारियों, सरकार द्वारा स्वाधिकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा आवास वित्त कंपनियों पर नहीं लागू होगा।

यह ढांचा वित्तीय प्रणाली के अन्य खंडों के साथ ही पर्याप्त अंतरसम्बद्धता वाली कंपनियों के लिए तैयार किया गया है। इसमें उनकी माप करने के लिए तीन जोखिम अवसीमाओं (threshold) और तीन मापदण्डों (yardsticks) यथा- पूंजी पर्याप्तता अनुपात, टियर -1 पूंजी अनुपात तथा निवल अनर्जक आस्ति अनुपात का समावेश है।

टोकनीकरण की निर्धारित तिथि जून, 2022 तक बढाई गई

उद्योग के हितधारकों द्वारा टोकनीकरण अंगीकृत किए जाने हेतु 31 दिसंबर, 2021 वाली निर्धारित तिथि तक अनुपालन किए जाने में असमर्थता व्यक्त किए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त निर्धारित तिथि को और छः माह तक बढ़ा दिया है। तदनुसार, व्यापारियों और भुगतान कंपनियों को व्यापारिक स्थलों पर कार्ड डेटा का निपटान करने एवं टोकनीकरण की प्रणाली लागू करने के लिए 30 जून, 2022 तक का समय मिल गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक यह भी चाहता है कि उद्योग के हितधारक आवर्ती ई-अधिदेशों (e-mandates), समीकृत मासिक किस्त विकल्पों अथवा लेनदेन के उपरांत वाले किसी भी ऐसे कार्य जो कार्ड जारीकर्ताओं तथा कार्ड नेटवर्कों को कार्ड-आन-फाइल डेटा को भंडारित करने में समर्थ

बनाता हो, को संचालित करने हेतु किसी वैकल्पिक उपाय की व्यवस्था कर लें।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

50 करोड़ रुपए से अधिक के सीमा-पार वाले सौदों के लिए 20 अंकीय विधिक संस्था/कंपनी अभिनिर्धारक अनिवार्य

50 करोड़ रुपए से अधिक के सीमा-पार वाले पूंजीगत अथवा चालू खाते के लेनदेनों के लिए 1 अक्तूबर, 2022 से एक 20 अंकीय विधिक संस्था/कंपनी अभिनिर्धारक (LEI) अनिवार्य होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि बैंकों को इस प्रकार के लेनदेन करने वाली स्थानीय कंपनियों से विधिक संस्था/कंपनी अभिनिर्धारक संख्या प्राप्त करनी होगी। विधिक संस्था/कंपनी अभिनिर्धारक संख्या वाली फ़र्मों को उस संस्था/कंपनी के सभी लेनदेनों में, लेनदेन का आकार चाहे जितना भी क्यों न हो, विधिक संस्था/कंपनी अभिनिर्धारक संख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों को सरकारी एजेंसी व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने संयुक्त रूप से अनुसूचित भुगतान बैंको और अनुसूचित लघु वित्त बैंकों (SFBs) को कर वसूली जैसे सरकारी एजेंसी व्यवसाय आरंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस व्यवसाय को करने के इच्छुक किसी भी ऐसे बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक करार करना होगा, जिसके बाद उसे उल्लिखित उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का एजेंट नियुक्त किया जाएगा। उस बैंक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सरकारी एजेंसी का व्यवसाय करने के लिए एक एजेंट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्धारित रूपरेखा का अनुपालन करे।

विनियामकों के कथन

औद्योगिक घरानों और बैंकिंग व्यवसाय को अलग-अलग रखा जाए : भारतीय रिजर्व बैंक के

उप गवर्नर

टकसाल (Mint) के वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने बैंकों के लिए इस आवश्यकता पर बल दिया कि वे प्रवर्तकों, बड़े शेयरधारकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका की छानबीन बढ़ाकर अपने अभिशासन मानकों को सुदृढ़ करें। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि बैंकों में अच्छे अभिशासन की संस्कृति को बढ़ावा देने की समग्र ज़िम्मेदारी उनके निदेशक मण्डल की होती है। निदेशक मण्डल को शीर्ष स्तर पर मन: स्थिति निर्मित करनी चाहिए तथा एक सुदृढ़ अभिशासन, अनुपालन तथा जोखिम संस्कृति सृजित करने और उसका रख-रखाव करने में प्रबंधन की भूमिका की देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने अपने वक्तव्य की समाप्ति यह कहते हुये की कि बैंकिंग व्यवसाय की अत्यधिक नियंत्रित प्रकृति को देखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक घरानों को बैंकिंग से दूर रखने में विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि “यह पृथक्कीकरण उन प्रभाव-विस्तार जोखिमों से बचने के लिए अपेक्षित है जिनमें उस समूह की कंपनियों में कहीं भी मौजूद संकट की परिणति उन जोखिमों को जमाकर्ताओं को अंतरित किए जाने में हो सकती है, जिसके फलस्वरूप व्यापक रूप से अंतरसम्बद्ध सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालियों को प्रभावित करने वाले उत्तरवर्ती शृंखलाबद्ध प्रभाव सहित निक्षेप बीमा (Deposit insurance) पर दावों में वृद्धि होगी, जिससे वित्तीय स्थिरता के प्रति चिंताएँ पैदा होंगी।”

वित्तीय समावेशन मुद्रास्फीति को निरुत्साहित कर सकता है, मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकता है: भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा॰ माइकल पात्रा

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद द्वारा वित्तीय समावेशन पर आयोजित एक संगोष्ठी में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा॰ माइकल पात्रा ने कहा कि वित्तीय समावेशन मौद्रिक नीति को अधिकाधिक रूप से प्रभावित करता है, यही कारण है कि उसको मापने के लिए एक औपचारिक प्रणाली होनी चाहिए।

इसके भी अलावा, उत्पादन एवं मुद्रास्फीति के साथ उसके सह-संबंध और उनकी अस्थिरता की जांच करने के लिए वित्तीय समावेशन के एक परिमेय संकेतक को मौद्रिक नीति के नियमों और अनुक्रियात्मक कार्यों में समाविष्ट किया जा सकता है। डा॰ पात्रा ने कहा कि पहली बार नीतिगत दर में परिवर्तनों के आकार एवं काल- मापन के संबंध में वित्तीय समावेशन के प्रभाव

को मापा जा सकता है। उन्होंने इसके आगे यह भी कहा कि मौद्रिक नीति और वित्तीय समावेशन के बीच दोहरा संबंध है और यह बात असंदिग्ध है कि वित्तीय समावेशन मुद्रास्फीति और उत्पादन की अस्थिरता को निरुत्साहित करने में समर्थ है। जैसे-जैसे अधिकाधिक लोग औपचारिक वित्तीय दायरे में आते जाते हैं, वे अधिकाधिक रूप से हित-संवेदी होते जाते हैं तथा समाज मुद्रास्फीति के प्रति असहिष्णु हो जाता है। इसके बदले में यह मौद्रिक नीति की अपेक्षाकृत कमतर अवधि में उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई मासिक आर्थिक रिपोर्ट नवम्बर, 2021 के अनुसार कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वर्षानुवर्ष 8.4% की वृद्धि हुई, जो कोविड -19 की पृष्ठभूमि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आघात-सहनीयता प्रदर्शित करता है।
- मांग पक्ष में निर्यात और निवेश में क्रमश: 17% और 1.5% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में निजी उपभोग 96% बढ़ा।
- आपूर्ति पक्ष में कृषि, विनिर्माण एवं निर्माण क्षेत्रों में वास्तविक सकल मूल्य योजन (GVA) वैश्विक महामारी के पूर्व वाले स्तरों से अधिक रहा।
- अक्तूबर, 21 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) में पुनरुत्थान का क्रम जारी रहा।
- अक्तूबर, 21 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 4.5% पर स्थिर बना रहा, जबकि थोक मुद्रास्फीति अक्तूबर, 21 में बढ़कर 12.5% तक पहुँच गई।
- नवंबर, 21 में खरीदी प्रबन्धक सूचकांक (PMI) विनिर्माण और खरीदी प्रबन्धक सूचकांक सेवा बढ़कर क्रमश: 57.6% और 58% से अधिक के स्तर पर पहुँच गये।
- नवंबर, 21 में माल एवं सेवा कर (GST) वसूलियाँ बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपए हो गईं।
- डिजिटल भुगतान अपनाये जाने के फलस्वरूप नवंबर, 21 में एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) लेनदेन बढ़कर 7.68 लाख करोड़ के मूल्य तक पहुँच गए।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा औने-पौने दाम पर बेचे जाने (sell-off) के बावजूद घरेलू संस्थागत निवेशकों ने नवंबर, 21 के दौरान पूंजी बाजार में 30,000 करोड़ रुपए

से अधिक का निवेश किया।

- जैसा कि वित्त वर्ष 21 में हुआ था वित्त वर्ष 22 के पहले छः महीनों में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 20 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर बंद (closed in) हुआ।
- 19 नवंबर, 2021 को विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ सहजता से 640.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुँच गईं, जो एक वर्ष से अधिक के आयात का वित्तीयन करने के लिए पर्याप्त हैं।
- सहज चलनिधि तथा घटती उधार लागतों की पृष्ठभूमि में बैंक ऋण वर्षानुवर्ष 7% की वृद्धि दर पर पहुँच गए, जो पुनर्खरीद (repo) दर में कटौती के पूर्ण प्रेषण को प्रदर्शित करते हैं।
- 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (G-secs) का प्रतिफल अक्तूबर, 21 के 6.38% घटकर नवंबर, 21 में 6.33% हो गया। कारपोरेट बांड के प्रतिफलों में भी कमी आई।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 दिसम्बर, 2021 के दिन करोड रुपए	24 दिसम्बर, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4765329	635080
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	4287220	571369
(ख) सोना	295562	39390
(ग) विशेष आहरण अधिकार	143418	19114
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	39129	5207

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जनवरी, 2022 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.53200	0.95300	1.17500	1.28800	1.36700

जीबीपी	0.84510	1.2132	1.3347	1.3403	1.3092
यूरो	-0.48000	-0.290	-0.140	-0.040	**0.021**
जापानी येन	0.05130	0.054	0.038	0.048	0.056
कनाडाई डालर	0.49000	1.54600	1.771	1.830	1.839
आस्ट्रेलियाई डालर	0.44200	0.917	1.280	1.545	1.666
स्विस फ्रैंक	-0.67200	-0.448	-0.365	-0.275	-0.220
डैनिश क्रोन	-0.18200	0.0135	0.1258	0.2075	0.2720
न्यूजीलैंड डालर	1.75700	2.185	2.430	2.530	2.570
स्वीडिश क्रोन	0.09900	0.312	0.512	0.632	0.725
सिंगापुर डालर	0.57000	0.990	1.185	**1.385**	1.515
हांगकांग डालर	0.57000	0.970	1.190	1.300	1.380
म्यामार	2.20000	2.560	2.760	2.850	2.970

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR)

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। यह वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता को जोखिमो पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की उप-समिति के मूल्यांकन को प्रतिबिम्बित करती है। उक्त रिपोर्ट में विकास एवं वित्तीय प्रणाली के विनियमन से संबन्धित मुद्दों को रिपोर्ट करती है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (NSFR)

निवल स्थिर निधीयन अनुपात को आवश्यक स्थिर निधीयन की तुलना में उपलबद्ध स्थिर निधीयन की रकम के रूप में परिभाषित किया गया है। उपलब्ध स्थिर निधीयन

पूंजी और देयताओं का वह अंश होता है जिसके 1 वर्ष के समय-संस्तर में वसूलीयोग्य (realisable) होने की आशा की जाती है। आवश्यक स्थिर निधीयन की रकम (“आवश्यक स्थिर निधीयन”) (RSF) चलनिधि की विशेषताओं और विविध आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वताओं तथा तुलनपत्र - बाह्य (OBS) एक्सपोजरों का एक फलन (function) होती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जनवरी, 2022 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	**तिथियाँ**	**स्थल**
प्रभावी शाखा प्रबंधन	17 से 19 जनवरी, 2022 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ( ) को उधार देना तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अग्रिमों की पुनरसंरचना	17 से 19 जनवरी, 2022 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
कृषि वित्तीयन	17 से 19 जनवरी, 2022 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अपने ग्राहक को जानिए, धन-शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तीयन का मुकाबला	20 से 21 जनवरी, 2022 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

8 और 9 जनवरी को आयोजित होने वाली जेएआईआईबी/डीएण्डएफ/एसओबी/ सीएआईआईबी की परीक्षाओं का स्थगन

कोविड-19 के मामलों में तीव्र वृद्धि और विविध राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उक्त वायरस को नियंत्रित करने के लिए दिये गए निदेशों के अनुसार 8 जनवरी 2022 और 9 जनवरी, 2022 को होने वाली जेएआईआईबी/डीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी की परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं। इन विषयों के लिए संशोधित तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी तथा उन्हें वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी - संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

घटनाओं से सामंजस्य बनाए रखने तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मुख्य पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक मूल्य-योजन सुनिश्चित करने के लिए जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के पाठ्यक्रमों को अधिक संकल्पनात्मक एवं सम-सामयिक बनाए रखने के लिए उन्हें पुनरसंरचित कर दिया गया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 और उसके बाद अथवा किसी भी स्थिति में अधिकतम मई/जून, 2023 से आयोजित किए जाने का अस्थाई तौर पर निर्णय लिया गया है।

पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मई/जून, 2023 के बाद से जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ केवल संशोधित
पाठ्यक्रमों के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

बैंकिंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान अध्येता वृत्ति (Research fellowship) 2021-22

उपर्युक्त अध्येता वृत्ति (fellowship) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फ़ाइनैन्स (IIBF) और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IRDBT) की संयुक्त पहलकदमी है। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं का प्रयोजन करना है जिनमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र को उल्लिखनीय योगदान करने की संभाव्यता निहित हो। उक्त योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

सूक्ष्म एवं स्थूल अनुसंधान

सूक्ष्म एवं स्थूल अनुसंधान के लिए विषयों को अंतिम रूप दे दिया गया है और उनके विवरण संस्थान की वेबसाइट पर दल दिये गए हैं। इस योजना के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2022 है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखेँ।

सब के लिए ई-शिक्षण सुविधा

संस्थान ने "सब के लिए ई-शिक्षण" की ऐसी सुविधा की शुरूआत की है जिसमें सदस्यता की स्थिति या परीक्षा हेतु पंजीकरण की स्थिति चाहे जैसी भी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति संस्थान द्वारा तैयार किए गए बैंकिंग एवं वित्त से संबन्धित विविध सम-
सामयिक विषयों पर ई-शिक्षण मॉड्यूल का लाभ उठा सकता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षा विधि के अधीन दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की शुरूआत

अक्तूबर, 2021 से दो नयी प्रमाणपत्र परीक्षाएँ परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षा (RPE) विधि से आयोजित की गईं। दोनों नए विषय हैं :रणनीतिक प्रबंधन और बैंकिंग एवं उभरती प्रौद्योगिकियों मेन नवोन्मेष (स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इन्नोवेशन्स इन बैंकिंग एण्ड इमरजिंग टेक्नोलोजीस। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान ने एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत की है जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को मिटाने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग के जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय
(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के जनवरी - मार्च, 2022 तिमाही के लिए के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: "दबावग्रस्त आस्तियों का प्रभावी समाधान (Effective resolution of stressed assets)"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2021 से जनवरी, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी

अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

110
100
90
80
70
60

जुलाई 2021 अगस्त 2021 सितम्बर 2021 अक्तूबर 2021 नवम्बर 2021 दिसम्बर 2021

अमरीकी डालर जीबीपी यूरो येन

स्रोत : एफबीआईएल

भारित औसत मांग दरें

3.35
3.3
3.25

3.2
3.15
3.1

जुलाई 2021　अगस्त 2021　सितम्बर 2021　अक्तूबर 2021　नवम्बर 2021　दिसम्बर 2021

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूज़लेटर

समग्र जमा वृद्धि %

12
11.5
11
10.5
10
9.5
9

जून 2021　जुलाई 2021　अगस्त 2021　सितम्बर 2021　अक्तूबर 2021　नवंबर 2021

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसम्बर, 2021

कच्चा तेल - वृद्धि %

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
\-7

मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्तूबर
2021 2021 2021 2021 2021 2021

स्रोत : पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय

बैंक ऋण वृद्धि %

7.5
7
6.5
6
5.5
5.
4.5

जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्तूबर नवंबर
2021 2021 2021 2021 2021 2021

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

बंबई शेयर बाजार सूचकांक और निफ्टी 50

70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00

जुलाई अगस्त सितम्बर अकतूबर नवम्बर दिसम्बर
2021 2021 2021 2021 2021 2021

बंबई शेयर बाजार बंद निफ्टी 50

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और निफ्टी

खाद्‌येतर ऋण वृद्‌धि %

7.5
7
6.5
6
5.5
5

जून 2021	जुलाई 2021	अगस्त 2021	सितम्बर 2021	अक्तूबर 2021	नवंबर 2021

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसम्बर, 2021

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्‌धि %

8
6
4
2
0
-2

जुलाई 2021	अगस्त 2021	सितम्बर 2021	अक्तूबर 2021	नवम्बर 2021	दिसम्बर 2021

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्‌धि %

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

बिश्व केतन दास द्‌वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्‌वारा इंडियन इंस्टिट्‌यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्‌यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : बिश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in
.

आईआईबीएफ विजन जनवरी 2022

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर